

Title: Need to lift ban imposed under the Forest Act, 1980 regarding development works and provision of civic amenities for Scheduled Tribe areas.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालोर्गांव) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने १९८० में फॉरेस्ट कानून बनाया है। इस कानून से आदिम जातियों के लिए बिजली, टेलीफोन, सड़क, बड़े बांध और नहर आदि सब पर पाबंदी लगा दी है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करता हूँ कि वह इस पाबंदी को उठाने की कोशिश करें।

&nbs